



(☎ 022-22862703)

ई-मेल/e-mail-

irw@dae.gov.in

फैक्स/Fax No. - 2204 8476

&

22824354

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

परमाणु ऊर्जा विभाग

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

औ. सं. एवं क. अनुभाग

IR&W SECTION

अणुशक्ति भवन

Anushakti Bhavan,

छ. शि. म. मार्ग

C.S.M. Marg,

मुंबई/Mumbai - 400001

सं. No. 7/3/2017/आईआरएंडडब्ल्यू IR&W/(वाल्यू Vol.II) /2235 फरवरी February 15, 2019

कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय : छः महीने की अवधि के लिए सीएचएसएस के तहत दवाएं देने के संबंध में।

Sub : Issue of medicines under CHSS for a period of six months - reg.

इस विभाग में ऐसे संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें विदेश जाने वाले लाभार्थियों को छः महीने तक की दवाएं देने का अनुरोध किया गया था।

Reference has been received in the Department requesting for issuance of medicines upto six months at a time to those beneficiaries who are going abroad.

2. इस विभाग और सीएचएसएस समीक्षा समिति में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि यदि सीएचएसएस लाभार्थी (जो लंबी बीमारियों से पीड़ित हैं) विदेश जा रहे हैं तो विभागीय डॉक्टरों/एएमओ द्वारा जारी वैध प्रिस्क्रिपशन के आधार पर दवाओं की उपलब्धता की शर्त पर दवाइयां दी जा सकती हैं। डॉक्टरों/एएमओ द्वारा प्रिस्क्रिपशन पुराने रोगों के उपचार के लिए केवल ज्ञात मामलों हेतु दिया जाना चाहिए जिनका डायग्नोसिस पहले से हो चुका है और जिन्हें सामान्यतः प्रत्येक माह उस ड्रग्स/दवाओं की प्रिस्क्रिपशन की आवश्यकता होती है।

After detailed deliberations in the Department and in the CHSS Review Committee, it has been decided that medicines can be issued for upto six months at a stretch, in case of CHSS beneficiaries (who are suffering from chronic ailments) going abroad, on the basis of valid prescription issued by Departmental Doctors / AMOs, subject to availability of stock. Prescription should be given by Doctors/AMOs only for known cases of treatment for chronic diseases which are already diagnosed and which normally require prescription of the same drugs/medicines every month.

.....2/-

3. एक बार में छः महीने तक की दवा लेने के लिए यह आवश्यक है कि लाभार्थी संबंधित विभागीय डाक्टरों/एएमओ को प्रमाण के रूप में वीजा और एअर टिकट की एक प्रति उपलब्ध कराए।

To enable issue the medicines upto six months at a stretch, it is necessary that beneficiary should provide a copy of VISA and air ticket to the concerned Departmental Doctors /AMOs as a proof.

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of the Competent Authority.



(राकेश गर्ग Rakesh Garg)

निदेशक (आईआरएंडडब्ल्यू) Director (IR&W)

सीएचएसएस के सभी नियंत्रण प्राधिकारी All CHSS Administering Authorities